प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पच्चीस'

[25/2/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1372]

परिशिष्ट "31"

अर्द्ध–शासकीय पत्र क्रमांक 156/4363/05/18–1
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 01/फरवरी 2016

ओम प्रकाश श्रीवास्तव
उप सचिव

कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी को संबंधित अपने पत्र कमांक 2363 दिनांक 30.10.2015 का अवलोकन करें जिसके द्वारा नगर पालिक निगमों में आयुर्वेदिक, होमोपैथिक, युनानी चिकित्सकों के पद पुनः स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया है।

2/ नगर पालिक निगमों में आयुर्वेदिक, होमोपैथिक, युनानी चिकित्सको की संख्या नगण्य है तथा प्रत्येक शहर में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का जिला चिकित्सालय है। इसके साथ आयुष विभाग भी अपना पृथक से आयुर्वेदिक, होमोपैथिक, युनानी चिकित्सालय संचालित कर रहा है। इसके अलावा 74 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12 वीं अनुसूची में नगरीय निकायों को कार्य एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिसमें "स्वास्थ्य" नगरीय निकायों का विषय नहीं है। इस कारण शासन द्वारा नगर पालिक निगमों को इन पदो को डॉईग केडर घोषित किया गया है और कार्यरत ऐसे आयुर्वेदिक, होमोपैथिक, युनानी चिकित्सको के सेवानिवृत्त होने के उपरांत समाप्त हो जायेगा।

3/ ऐसी स्थिति में नगर पालिक निगमों में आयुष चिकित्सकों की पुनः पद निर्माण किया जाना संभव नहीं है।

31.1.16

(ओम प्रकाश श्रीवास्तव)

मान. श्री कुँवर सौरभ सिंह,
विधायक,
सत्येन्द्र भवन, रामनिवास सिंह मार्ग,
भटठा मोहल्ला, कटनी म0प्र0

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

DO - I -